

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

क्रमांक एफ 1-2 / 2020 / 1-5
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/04/2021

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
नवा रायपुर अटल नगर एवं रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के विषय में निर्देश।

—000—

मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में कोरोना (कोविड-19) के कारण कई कर्मचारियों के प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों (संचालनालय) में 50 प्रतिशत् कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं-


1. जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष के अधिक हो गया है, उन्हें टीका (वैक्सीन) लगाना अनिवार्य है। चूंकि मंत्रालय एवं इंद्रावती भवन में टीकारण की विशेष व्यवस्था की गई है, अतएव टीकाकरण अनिवार्य किया जाए।
2. 50 प्रतिशत् कर्मचारियों की रोस्टर तैयार करें, जिसमें 50 प्रतिशत् वर्क फ्राम होम एवं 50 प्रतिशत् कार्यालय आएंगे। प्रतिशत् का विभाजन ऐसा हो कि शासकीय कार्य प्रभावित न हो, किसी शाखा के कर्मचारी को पूर्ण रूप से अवकाश न दिया जाये बल्कि सप्ताहिक रोस्टर प्रणाली से कार्य संपादित कराया जाए। अनुभाग अधिकारी एवं उनके नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत् अनिवार्य रूप से कराया जाए।

इसी प्रकार समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अधीक्षक स्तर के अधिकारी सप्ताहिक रोस्टर प्रणाली से कार्य संपादित करेंगे तथा शेष अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे।

3. जो कर्मचारी कार्यालय आएंगे वे यथासंभव अपने स्वयं के वाहन से आयेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके तथा कोविड-19 के संक्रमण का रिस्क कम हो सके।

निरंतर.....

4. बस में निर्धारित क्षमता से आधे कर्मचारी बैठाया जाए। यदि आवश्यक हो तो दोबारा उसी रुट पर पुनः बस का संचालन किया जावे।
 5. सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने परिजनों, परिचितों एवं पड़ोसियों को जिनकी आयु 45 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनको टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित करें।
 6. सभी अधिकारी/कर्मचारी से यह भी अपेक्षा है कि कोविड-19 के रोकथाम हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, ताकि समाज में एक आदर्श पेश हो सके जिससे सकारात्मक संदेश जाए। भीड़ वाली स्थान से पूर्णतः परहेज किया जावे।
 7. सभी कर्मचारी कार्यालय में अनिवार्यतः मास्क लगाएंगे एवं सैनेटाइजर का उपयोग नियमित रूप से करेंगे।
 8. यथा संभव सभी बैठकें विडीयों कांफेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें।
- इस संबंध में भारसाधक सचिव अपने विभाग में अधीनस्थ निगम/मंडल /आयोग/बोर्ड/सहकारी संस्था को अवगत कराएंगे।



(डॉ. डॉ. सिंह)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
संसामान्य प्रशासन विभाग
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/04/2021

पृ. क्रमांक एफ 1-2/2020/1-5

प्रतिलिपि :-

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर,
5. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर,
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ वे अपने स्तर से अधिनस्थ कार्यालयों हेतु निर्देश जारीं करें,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ वे अपने स्तर से अधिनस्थ कार्यालयों हेतु निर्देश जारीं करें,
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़,
9. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर,
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
12. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
13. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
14. शासन के विभिन्न विभाग द्वारा गठित समस्त निगम/मंडल/आयोग/सहकारी संस्था आदि
15. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
16. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ रायपुर,

निरंतर.....

17. विशेष सहायक / निज सहायक, माननीय मंत्री / मान. संसदीय सचिव छत्तीसगढ़, मंत्रालय
नवा रायपुर अटल नगर
18. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आधीक्षण), मंत्रालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)
19. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
20. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (छ.ग.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग